

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

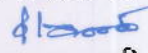
क्रमांक:- एफ.2 (क) (टी-9) अलेसे-1/

दिनांक:- 05/01/2015

आदेश संख्या: 133 / 2014-15

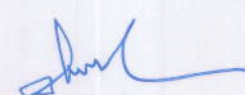
श्री तेजाराम कोडेचा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय- परियोजना प्रबंधक अनुजा प्रकोष्ठ बाडमेर, जिनकी जन्मतिथि 08.07.1963 (लिंग नं.-7635) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18.08.1988 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2014 से, पंचायतीराज चुनाव लड़ने हेतु दिनांक 08.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्णय क्रमांक एफ 13 (7) वित्त (नियम)/2006 दिनांक 26.02.09 के क्रम में नोटिस अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री कोडेचा की दिनांक 08.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री तेजाराम कोडेचा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (टी-9) अलेसे-1/7896-7901 दिनांक:- 05/01/2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कोषाधिकारी, बाडमेर।
3. महाप्रबन्धक राजस्थान, अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
4. श्री तेजाराम कोडेचा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा प्रकोष्ठ बाडमेर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)